न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

ना0 अपील सं0 44/2008

नगर पालिका दौसा जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, दौसा जिला दौसा (राज0) ..अपी0

बनाम

1. जगदीश उम्र 38 वर्ष
2. भागीरथ उम्र 30 वर्ष पिसरान भौरीलाल
3. झूमर लाल पुत्र गौरी लाल
4. छाजूलाल पुत्र गोविन्दराम
5. मूल चंद उम्र 50 वर्ष
6. बाबूलाल उम्र 45 वर्ष पिसरान रुगा
7. मंगल चंद उम्र 35 वर्ष पुत्र चौथू
8. मोहर पाल पुत्र सेडू
9. श्रीनारायण पुत्र किशनलाल समस्त जाति माली निवासी दौसा तहसील व जिला दौसा
10. तहसीलदार तहसील, दौसा ..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण आदेश दिनांक 02.02.2002 नामा0 सं0 826 वाके ग्राम कस्बा दौसा तहसील, दौसा जिला दौसा

उपस्थिति–1. श्री अब्दुल मजीद खान, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष

निर्णय दिनांकः 30.10.17

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 02.02.2002 को नामान्तरकरण संख्या 826 वाके ग्राम कस्बा दौसा तहसील, व जिला दौसा का रेस्पो0 के नाम तस्दीक कर दिया गया था। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि आराजी खसरा नंबर 1485 रकबा 0.36, 1488 रकबा 0.12, 1489 रकबा 0.06, 1490 रकबा 0.15, 1491 रकबा 0.44 कुल किता 5 कुल रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम दौसा की भूमि श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय दौसा के आदेश दिनांक 28.08.99 की पालना में तहसीलदार दौसा के आदेश दिनांक 02.11.99 द्वारा आदेश देने के बाद जरिये नामा0 सं0 479 दिनांक 16.12.99 द्वारा पालिका दौसा के नाम आबादी दर्ज की गई थी। जो आबादी दर्ज होने के बाद नगरपालिका दौसा के नाम चलती आ रही थी किंतु तहसीलदार दौसा ने गुप–चुप तरीके से भौरी लाल, गौरीलाल, छाजूलाल पि0 गोविंदराम, रुग्गा पुत्र गंगल्या, चाथू पुत्र मंगल्या, मोहरपाल पुत्र सेडू व श्रीनारायण पुत्र किशनलाल माली निवासी दौसा के नाम नामा0 सं0 826 दिनांक 02.02.02 के द्वारा खातेदारी दर्ज करदी गई। नगर पालिका को इसकी कतई जानकारी नहीं थी। दिनांक 08.02.08 को रेस्पो0 श्रीनारायण के यह कहने पर हुई कि उक्त भूमि का उनके हक में नामान्तरकरण हो चुका है तथा वह नगरपालिका को ग्रेवल रोड पर सीमेंट रोड नहीं बनाने देगा। नामान्तरकरण पर सहायक कलेक्टर, बॉदीकुई के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.84 का इन्द्राज उल्लेखित किया गया है, उक्त

निर्णय की पालना में 18 वर्ष बाद नामा0 स्वीकार किया गया है उक्त डिक्री दिनांक 12.10.84 को इजराय की अवधि 12 वर्ष समाप्त होने के कई वर्ष बाद नामन्तरकरण स्वीकार करने की कार्यवाही गैर कानूनी है। अपील में वर्णित भौरी लाल, गौरीलाल व चौथू रेस्पो0 के नाम नामा0 स्वीकृत होने से पूर्व ही वह मर चुके थे। मरे हुए व्यक्ति के पक्ष में नामान्तरकरण नहीं खुल सकता। साथ ही उक्त भूमि जिला कलेक्टर महोदय दौसा के आदेश दिनांक 28.08.99 द्वारा आबादी में सेट अपार्ट होकर नगर पालिका के नाम दर्ज की गई। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर महोदय दौसा का आदेश यथावत है। जब तक उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी जाती तब तक उक्त आदेश यथावत रहेगा। उक्त पारित नामान्तरकरण बिना अपीलांट को सुनवाई में एकतरफा किया गया है, जो विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत तो है ही साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत भी है। जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण आदेश दिनांक 02.02.02 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट की इक तरफा बहस सुनी गई। रेस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थित में प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होने से पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वाके ग्राम दौसा कलॉ तहसील दौसा में स्थित खातेदारी भूमि के संबंध में अपीलांट्स व रेस्पो0 के मध्य प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 826 दिनांक 02.02.02 के संबंध में विवाद है। प्रश्नगत नामान्तरकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि "प्रश्नगत नामान्तरकरण कैम्प वार्ड नं0 9 प्रशासन शहरों के संग दिनांक 02.02.2002 को मुताबिक डिक्री एवं आदेश एसडीएम, बॉदीकुई एवं जॉच आईएलआर के नवीन अंकन स्वीकार किया गया है बाबत अंकित कर खोला गया है।" साथ ही पटवारी कस्बा दौसा द्वारा मुताबिक डिक्री एसीएम बॉदीकुई दिनांक 12.10.84 एवं आदेश एसडीएम बॉदीकुई के पत्रांकःराजस्व/104 दिनांक 01.02.99 व आदेश कमांकः26 दिनांक 07.01.99 व आदेश कार्यालय तहसील दौसा भूअ/2002/622 दिनांक 01.02.2002 की पालना में नामा0 दर्ज कर वास्ते जॉच व तस्दीक पेश है–अंकित किया गया है। अपीलांट का विवादित नामा0 के संबंध में तर्क है कि विवादित नामा0 12.10.84 की पालना में दिनांक 02.02.02 को तस्दीक किया गया है। जो लगभग 18 वर्ष बाद तस्दीक किया गया है। हॉलाकि नामा0 मुताबिक डिक्री भरा गया है किंतु डिक्री की पालना इतने अर्से बाद किया जाना विचारणीय बिंदु है। साथ ही 18 वर्ष पश्चात डिक्री की पालना करने से पूर्व अपीलांट को एक बार न्यायहित में सुना जाना चाहिए था। जिससे तस्दीक किये गये नामान्तरकरण पर कोई बात पैदा नहीं होती। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अपनाई गई कार्यवाही में प्रार्थी/अपीलांट को विवादित भूमि का नामा0 तस्दीक करने से पूर्व सुना जाना उचित प्रतीत होने से प्रकरण रिमाण्ड किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2002 पर पारित आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार दौसा को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के प्रकाश में विधि सम्मत निर्णय पारित करें । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 अक्टूबर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा